न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 14/2020
जीसीएमएस : 2020/00050

1. सुखप्रीत कौर उर्फ सुखविन्द्र कौर पुत्री चन्द सिंह पत्नी मेजर सिंह निवासी 16–17 एच घनजातियां तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर

–: प्रार्थी

बनाम

1. वीरो उर्फ हरबन्स कौर पुत्री हरनेक सिंह पत्न मखन सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ कोठा कमीनपुरा तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर
2. दीपो उर्फ कलवन्त कौर पुत्री हरनेक सिंह पत्नी चड़ सिंह जाति जटसिख निवासी 17 बीएलडी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर
3. काका उर्फ परविन्द्र कौर पुत्र हरनेक सिंह पत्नी राज सिंह जाति जटसिख निवासी गुलाबेवाला तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर
4. कोड़ी उर्फ सतपाल कौर पुत्र हरनेक सिंह पत्नी जलन्धर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. अन्ती उर्फ सुखपाल कौर पुत्री हरनेक सिंह पत्नी मोहन सिंह जाति जटसिख निवासी ढांबा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रींगगानगर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर

–: अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री हरपाल सिंह सुधन, वकील प्रार्थी
2. श्री गुरप्रताप सिंह, वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 5

–: निर्णय :–

दिनांक : 31.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राज.काश्त. अधि. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृतक मुख्तयार कौर पत्नी हरनेक सिंह के नाम से चक 42 पीएस प.नं. 282/320 मु.नं. 40 के कि.नं. 1 ता 13, प.नं. 288/317 मु.नं. 6 के कि.नं. 1 ता 13, प.नं. 287/320 मु.नं. 35 के कि.नं. 1 ता 25 में 1/4 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। मुख्तयार कौर द्वारा एक वसीयत रोबरू गवाहान दिनांक 06.05.2013 को चक 42 पीएस तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 287/320 मु.नं. 35 में कुल 25 बीघा नहरी भूमि है जिसमें से मुख्तयार कौर का 1/4 हिस्सा है ओर मुख्तयार कौर द्वारा अपने 1/4 हिस्से की वसीयत अपनी स्वयं इच्छा से प्रार्थीया जो कि मुख्तयार कौर की दोहती लगती है के हक में करवाई गयी थी। प्रार्थीया घोषणा करवाने की अधिकारी हैं कि मुखत्यार कौर द्वारा स्वयं ईच्छा से रोबरू गवाहान अपनी अन्तिम वसीयत प्रार्थीया के हक में दिनांक 06.05.2013 को नोटेरी से तस्दीक करवा प्रार्थीया को सुपुर्द की थी। मुख्तयार कौर की मृत्यु दिनांक 10.01.2020 को हो चुकी हैं। प्रार्थीया घोषणा करवाने की अधिकारी हैं कि चक 42 पीएस के प.नं. 287/320 मु.नं. 35 के कि.नं. 1 ता 25 में 1/4 हिस्सा की भूमि जो कि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 ता 5 द्वारा विरास्तन इंतकाल दिनांक 20.02.2020 को करवाया गया हैं, उसके विलोपित क[illegible] प्रार्थीया का नाम दर्ज किया जावे। उक्त भूमि मुखत्यार कौर की स्वयं अर्जित सम्पति थी। जिसे मु[illegible] वसीयत करने की अधिकारी हैं। वसीयत की जानकारी अप्रार्थीगण को [illegible] पीएस से विरास्तन इंतकाल दिनांक 20.02.2020 को करवा लिया गया, [illegible] होने के कारण अकृत व शून्य हैं। प्रार्थीया इस भूमि पर अपने [illegible] अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी हैं। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया [illegible] साबित हैं। यदि अप्रार्थीगण [illegible] भूमि को किसी प्रकार से रहन बैय या मुन्तकिल कर दिया गया तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति [illegible] होगी और बहु विवाद होंगे। अप्रार्थीगण एलानिया कह रहे हैं कि उक्त भूमि पर भू माफिया का कब्जा करवा देंगे। और बेचान कर देंगे। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद लम्बन काल तक अप्रार्थीगण चक 42 पीएस के प.नं. 287/320 मु.नं. 35 के कि.नं. 1 ता 25 में 1/4 हिस्सा से प्रार्थीया को बेदखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:08:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

करने एवं भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, बैय या मुन्तकिल करने से बाज व मुमकिन रहे व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें, के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। एवं दिनांक 04.03.2020 को अंतरिम एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित की गयी। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृतका मुखत्यार कौर ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत प्रार्थीया या किसी अन्य के पक्ष में निष्पादित नहीं करवायी। तथाकथित वसीयत दिनांक 06.05.2013 मुखत्यार कौर की मृत्यु के बाद पिछली तारीखों में प्रार्थीया ने अपने पति मेजर सिंह जो वसीयत का गवाह भी हैं, व अपने हितबद्ध व्यक्ति सरदूल सिंह आदि से मिलकर सांठ–गांठ कर कूटरचित तरीके से तैयार की गई जिसके संबंध में अलग से फोजदारी कार्यवाही प्रस्तावित हैं। प्रार्थीया को विवादित भूमि पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस लिए प्रार्थीया वाद लाने व घोषणा करवा पाने की अधिकारीनी नहीं हैं। मुखत्यार कौर प्रार्थीया के पास कभी नहीं रही। और ना ही प्रार्थीया ने उसकी कभी सेवा संभाल की। अप्रार्थीगण मुखत्यार कौर की पांच पुत्रियां हैं कोई पुत्र नहीं हैं। पांचों पुत्रियां ही देखभाल करने से वे खुश थी और पांचों को ही अपनी सम्पति बराबर बराबर देने की इच्छा रखी। मुखत्यार की मृत्यु के उपरान्त उसके नाम की भूमियों का विरास्तन इन्ताकल नियमानुसार व कब्जानुसार अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ। विवादित भूमि मृतका को ना तो आवंटी थी ना ही खरीदशुदा थी इसलिए स्वअर्जित सम्पति नहीं थी। विरास्तन इंतकाल नियमानुसार समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुआ हैं। विवादित रकबा पर अप्रार्थीगण का मुखत्यार कौर की मृत्यु के रोज से बहैसियत विरास्तन उत्तराधिकारी चला आ रहा हैं। अप्रार्थीगण को खातेदारी हक हकूक प्राप्त हो चुके हैं। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के विन्दू प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। इसलिए प्रार्थीया विवादित रकबा के संवंध में कोई व्यादेश पाने की हकदार नहीं हैं। प्रार्थीया ने कूटरचित वसीयत के आधार पर वसीयतन इंतकाल विवादित रकबा का अपने नाम से दर्ज करने की कुचेष्टा की मगर सफलता नहीं मिलती देख आवेदन वापिस लेते हुए मा. न्यायालय को गुमराह कर वांछित अनुतोष पाने की कुचेष्टा में हैं। प्रार्थीया सदभावी नही हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि मुखत्यार कौर की स्वयं अर्जित स्त्रीधन सम्पति थी। मुखत्यार कौर द्वारा स्वयं ईच्छा से अपनी अन्तिम वसीयत प्रार्थीया के हक में दिनांक 06.05.2013 को नोटेरी से तस्दीक करवा दी थी। वसीयत की जानकारी अप्रार्थीगण को थी, जिसे छुपाकर ग्रा.पं. 43 पीएस सेविरास्तन इंतकाल दिनांक 20.02.2020 को करवा लिया। प्रार्थीया इस भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में हैं। यदि अप्रार्थीगण द्वारा भूमि को किसी प्रकार से रहन बैय हस्तांतरित कर दिया जाता हैं तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः वाद के निस्तारण तक प्रकरण में दिनांक 04.03.2020 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मुखत्यार कौर ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत प्रार्थीया के पक्ष में नहीं की। तथाकथित वसीयत कूटरचित व फर्जी हैं। मुखत्यार कौर को विवादित भूमि आवंटित नहीं थी ना ही भूमि उसकी खरीदशुदा थी इसलिए स्वअर्जित सम्पति नहीं थी। विरास्तन इंतकाल नियमानुसार समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुआ हैं। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण दर्ज होने से अप्रार्थीगण को भूमि पर समस्त हक अधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थीया अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा लाने एवं कोई व्यादेश प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो इससे प्रार्थीया की अपेक्षा अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा विवादित भूमि की वसीयत का प्रार्थीया के पक्ष में होने के आधार पर प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने का पेश किया गया हैं। अप्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया हैं कि मुखत्यार कौर द्वारा विवातिद भूमि की वसीयत किसी के पक्ष में नहीं की गयी हैं वसीयत कूटरचित व फर्जी हैं। मुखत्यार कौर की मृत्यु के बाद भूमि का विरास्तन नामान्तरकरण अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो चुका हैं, इसलिए प्रार्थीया का विवादित भूमि पर कोई अधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया गया हैं। विवादित भूमि में प्रार्थीया अथवा अप्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित हैं अथवा नहीं इसका निर्णय मूल वाद में वाद बिन्दू कायम कर साक्ष्यों के आधार पर किया जाना हैं। चूंकि अप्रार्थीगण ने स्वीकार किया हैं कि विवादित भूमि का विरास्तन नामान्तरण उनके नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो चुका हैं। ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थीगण द्वारा भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से किसी को हस्तांतरण कर दिया जाता हैं तो प्रार्थीया को अपूर्णीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:08:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

शांति होने एवं मुकदमेबाजी बढने की संभावना हैं। न्यायालय की मत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता हैं तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि मूल वाद के निस्तारण तक चक 42 पीएस के प.नं. 287/320 मु.नं. 35 के कि.नं. 1 ता 25 में मुखत्यार कौर के 1/4 हिस्सा भूमि पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.06.07 12:08:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner